

प्रेस विज्ञप्ति थाना गोरखनाथ दिनांक 01-01-2021

अन्तराज्यीय लूट, टप्पेबाजी गिरोह का एक अभियुक्त गिरफ्तार, लूट व टप्पेबाजी से सम्बन्धित माल बरामद

पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में लूट, टप्पेबाजी एवं उसमें सलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ/क्राइम के नेतृत्व में थाना क्षेत्र गोरखनाथ व शहर क्षेत्र में हुई लूट व टप्पेबाजी की घटना के अनावरण व उसमें सलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना गोरखनाथ पुलिस व स्वाट टीम द्वारा दिनांक 01.01.2021 को सफल अनावरण करते हुए घटना में सलिस एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लूट व टप्पेबाजी के समान व नशीला पदार्थ के साथ बरामद किया गया। विवरण निम्न है-

सलिस/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अख्तर अली पुत्र हबीब अली ग्राम ठण्डा नाला चौकी गुलरभोज थाना गदरपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

बरामदगी-

1. पीली धातु एक अदद चैन व एक अदद अंगुठी सम्बन्धित मु0अ0सं0 1047/20 धारा 406/420 भादवि थाना गोरखनाथ।
2. 3000/- हजार रुपया सम्बन्धित मु0अ0सं0 1027/20 धारा 392/411 भादवि थाना गोरखनाथ।
3. 2000/- रुपया सम्बन्धित मु0अ0सं0 876/20 धारा 406/420 भादवि थाना कोतवाली, गोरखपुर।
4. 115 ग्राम नशीला पदार्थ अल्प्राजोलम सम्बन्धित मु0अ0सं0- 1/21 धारा-08/21 NDPS एक्ट थाना गोरखनाथ गोरखपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक व समय -

स्थान- गोरखपुर रेलवे स्टेशन पार्शल गेट, दिनांक 01.01.2020 समय 05.30 बजे।

जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया-

1. मु0अ0सं0 1047/20 धारा 406/420 भादवि थाना गोरखनाथ, गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 1027/20 धारा 392,411 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 876/20 धारा 406/420 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर।
4. मु0अ0सं0- 01/21 धारा-8/21 NDPS एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा महिलाओं व बुजुर्गों को झांसा देकर पुलिस वाला बनकर डरा धमका करके उनके गहने व रुपयों की लूट करना व नशीला पदार्थ का उपयोग कर राहगीरो व यात्रियों से मेलजोल करके नशीला पदार्थ खिलाकर लूट व चोरी को अंजाम दिया जाता है साथ ही मौका मिलने पर लूट व छिन्ती की घटना कारित की जाती है।

आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0स0 1047/20 धारा 406/420 भादवि थाना गोरखनाथ,गोरखपुर ।
2. मु0अ0सं0 1027/20 धारा 392,411 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर ।
3. मु0अ0सं0 876/20 धारा 406/420 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर ।
4. मु0अ0सं0- 1/21 धारा-8/21 NDPS एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर ।

अभियुक्त द्वारा अपनी टीम के साथ जगह बदल बदल कर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार आदि राज्यो में घटनाए की जाती है । इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलो में अभियोग पंजीकृत है व अन्य राज्यो में अभियोग पंजीकृत है । जिनके बारे में जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी

- (1) उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय थाना गोरखनाथ गोरखपुर ।
- (2) उ0नि0 श्री शैलेन्द्र गौतम थाना गोरखनाथ गोरखपुर ।
- (3) उ0नि0 श्री सादिक परवेज प्रभारी स्वाट टीम गोरखपुर ।
- (4) का0 विक्रम सिंह थाना गोरखनाथ गोरखपुर ।
- (5) का0 वृजमोहन गिरी थाना गोरखनाथ गोरखपुर ।
- (6) का0 रशिद अख्तर खाँ स्वाट टीम गोरखपुर ।
- (7) का0 कुतुबुद्दीन स्वाट टीम गोरखपुर ।
- (8) का0 धर्मेन्द्र तिवारी स्वाट टीम गोरखपुर ।
- (9) का0 सनातन सिंह स्वाट टीम गोरखपुर ।